सोशल मीडिया सेल आजमगढ़

पत्र सं0- 338/21 **दिनांक- 17 जुलाई 2021**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- बरदह

गिरफ्तार अभियुक्त के निशानदेही पर ग्राम इशहाकपुर मे चुनावी रंजिश को लेकर हुई हत्या में प्रयुक्त असलहा बरामद

दिनांक 04-05-21 को ग्राम इशहाकपुर मे चुनावी रंजिश को लेकर हुई हत्या के संबंध मे थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 92/21 धारा 147/148/149/323/504/506/427/452/307/302/34 भा0द0वि0 भा0द0वि0 व 7 CLA ACT थाना बरदह आजमगढ मे अभि0गण थाना बरदह जनपद आजमगढ को पूर्व से गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

बरामदगी का विवरण –

पुलिस अधीक्षक आजमगढ सुधीर कुमार सिंह व अपर पुलिस अधीक्षक नगर तथा क्षेत्राधिकारी लालगंज के निर्देशन मे अपराध जगत मे अंकुश लगाये जाने व वांछित अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी के क्रम मे आज दिनांक 17.07.2021 को प्रभारी निरी0 विनय कुमार मिश्र मय हमराह उप0निरी0 शमशाद अली का0 ऐनुद्दीन फारूकी का0 साजिद अली का0 विपिन सिह व का0 बृजेश गोड के थाना हाजा से श्रीमान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आजमगढ महोदय के आदेश के क्रम मे **अभि0 आद्या प्रसाद पुत्र सतिराम राजभर नि0 ग्राम इशहाकपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ** सम्बन्धित मु0अ0स0 92/21 धारा 147/148/149/323/504/506/427/452/307/302/34 भा0द0वि0 व धारा 7 CLA ACT थाना बरदह आजमगढ को जिला जेल आजमगढ से नियमानुसार अभि0 आद्या प्रसाद को प्राप्त कर पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया तथा वारन्ट लिया गया व प्रभारी निरीक्षक मय फोर्स मय अभियुक्त आद्या प्रसाद मय सरकारी वाहन से अभियुक्त के बताये रास्ते से होते हुए सरायमोहन मार्टीनगंज रोड पर टूटे हुए गुजरा पुल के पास थोडा आगे खम्भे के पास सडक किनारे अभियुक्त द्वारा गाडी को रूकवाया गया तथा अभियुक्त द्वारा आगे आगे चल कर करीब 100 कदम चलने के बाद रोड के बाये सरपत की झाडी से एक अदद तमन्चा देशी 315 बोर निकाल कर प्रभारी निरी0 को दिया और बताया कि इसी तमन्चे से मैने दिनांक 04.05.2021 को इशहाकपुर मे गोली चलाया था जिसे घटना के बाद मैने भागते समय इसी झाडी मे छिपा कर भाग गया था जिसे निकाल कर मैने आपको दे दिया है अभि0 के हाथ से घटना मे प्रयुक्त एक अदद तमंचा देशी 315 बोर समय करीब 09.00 बजे कब्जा मे लिया गया।

पूछताछ का विवरण- पूछताछ के दौरान बताया कि इसी पिस्टल से मैने दिनांक 04/05/21 को इशहाकपुर पर गोली चलाया था जिसे घटना के बाद मैने भागते समय यहाँ पर रख कर चला गया था जिसे निकाल कर मैने आपको दे दिया है ।

अभियुक्त –

अभियुक्त आद्या प्रसाद पुत्र सतिराम राजभर नि0 ग्राम इशहाकपुर थाना बरदह जनपद आजमगढ

बरामदगी-

एक अदद तमंचा देशी 315 बोर

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 92/21 धारा 147/148/149/323/504/506/427/452/307/302/34 भा0द0वि0 भा0द0वि0 व 7 CLA ACT

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-144/2014 धारा -147/148/452/336/323/504 भादवि थाना बरदह

2. मु0अ0सं0-760/2011 धारा 395 भादवि थाना बरदह

3. मु0अ0स0 92/21 धारा 147/148/149/323/504/506/427/452/307/302/34 भा0द0वि0 भा0द0वि0 व 7 CLA ACT

<u>पुलिस टीम-</u>

प्रभारी निरी0 विनय कुमार मिश्र मय हमराह उप0निरी0 शमशाद अली का0 ऐनुद्दीन फारूकी का0 साजिद अली का0 विपिन सिह व का0 बृजेश गोड थाना बरदह जनपद आजमगढ